न्यायालय– न्यायिक मजिस्ट्रेट– द्वितीय, सहानरपुर

CNR No.– UPSP040463362026

राज्य बनाम शम्सु उर्फ काला

मुकदमा अपराध संख्या–105/2026
धारा–331(4), 305(ए), 317(2) बीएनएस,
थाना–चिलकाना, जिला सहारनपुर

22.06.2026

मुकदमा अपराध संख्या– 105/2026, धारा–331(4), 305(ए), 317(2) बीएनएस, थाना–चिलकाना, जिला सहारनपुर में अभियुक्त शम्सु उर्फ काला की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी को रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी एफआईआर में नामजद नहीं है। प्रार्थी से कोई बरामदगी नहीं है। स्वतंत्र साक्षी का अभाव है। प्रार्थी दिनाँक 03.04.2026 से जेल में बंद है। अतः जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गई है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध किया गया है किन्तु अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र पर आज ही निस्तारण पर बल दिया गया।

सुना तथा पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त पर आरोपित अपराध गंभीर व संज्ञेय प्रकृति का है। उल्लिखित अपराध 14 वर्ष के कारावास से दंडनीय है। अतः अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों एवं मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/ अभियुक्त उपरोक्त को जमानत पर छोड़े जाने के पर्याप्त आधार नहीं हैं। तद्नुसार प्रार्थी/ अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(अभिषेक चौहान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट– द्वितीय,
सहारनपुर।
JO Code– UP3465